संख्या-129/2017/2273/22-2-2016-17(146)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूदत्त पुत्र श्री खेमचन्द्र निवासी जनपद-बुलन्दशहर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गुरूदत्त पुत्र श्री खेमचन्द्र, ग्राम-ढांकर, थाना-खुर्जा नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी के भाई के ससुर द्वारा गुजारा भत्ता हेतु केस दायर किये जाने से नाराज होकर बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.07.1976 की रात्रि लगभग 09:00 बजे अपने भाई की पत्नी को लाठी डण्डों से पीटकर मुर्छित अवस्था में बांधकर रेलवे लाईन पर फेंक दिया। जहां गाडी से कटकर उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-32/1977 में भा0द0वि0 की धारा-147,323/149,302/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 28.02.1978 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल क्रिमिनल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 09.10.1996 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय की सजा को बहाल रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने अत्यन्त ही निर्दयता पूर्वक अपने भाई की पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गुरूदत्त पुत्र श्री खेमचन्द को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी गुरूदत्त पुत्र श्री खेमचन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-129/2017/2273/(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।